ए.

बी. वी. सेशयाह बनाम

तेलंगाना राज्य और ए. एन. आर. (2023 की आपराधिक अपील संख्या 284) फरवरी 1,2023

बी.

[कृष्ण मुरारी और वी**.** रामसुब्रमण्यन**,** जे**.** जे**.]**

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 -s.138-अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि के समक्ष दायर संशोधन-इस बीच, पक्षों ने विवाद को निपटाने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एम. ओ. यू.) में प्रवेश किया, जिसके संदर्भ में प्रत्यर्थी संख्या 2 उच्च न्यायालय के समक्ष एक समझौता याचिका दायर करने के लिए बाध्य था, हालांकि वह ऐसा करने में विफल रहा-उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन खारिज कर दिया गया, अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि की पुष्टि की गई-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाःयह पक्षकारों का एक समझौता करने और मुकदमे की प्रक्रिया से खुद को बचाने के लिए अपराध को बढ़ाने का एक बहुत ही स्पष्ट मामला है-जब पक्षकारों द्वारा ऐसा कदम उठाया गया था और कानून स्पष्ट रूप से उन्हें ऐसा करने की अनुमति देता है, तो उच्च न्यायालय इस तरह के समझौते को दरकिनार नहीं कर सकता है और अपनी वसीयत लागू नहीं कर सकता है-इसके अलावा, प्रत्यर्थी संख्या 2 उच्च न्यायालय के समक्ष एक समझौता याचिका दायर करने के लिए कर्तव्यबद्ध था, और ऐसा न करके उसने उच्च न्यायालय से महत्वपूर्ण जानकारी वापस ले ली है, जिसके कारण अपीलार्थियों की दोषसिद्धि की अनुचित पुष्टि हुई-दोषसिद्धि का आदेश अलग कर दिया गया-समझौता ज्ञापन के अनुसार अपने विवाद को निपटाने के लिए पक्षों के लिए खुला है।

सी.

डी.

ई.

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2023 की आपराधिक अपील No.284।

एफ.

2014 के सी. आर. एल. आर. No.1678 में तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य के लिए हैदराबाद में उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 17.04.2018 से।

के साथ

जी.

2018 की विशेष अवकाश याचिका (सी. आर. एल.) No.7100।

एम. रामबाबू, सुश्री प्रीति कुमारी, एम/एस. एम. रामबाबू एंड कंपनी के लिए एन. ईश्वर राव, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

एस. उदय कुमार सागर, लक्ष्य सैनी, अधिवक्ता।प्रत्यर्थीगणओं के लिए।

एच.

293

294

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 2 एस सी आर।

ए.

एन. वी. सुब्बा राव, व्यक्तिगत रूप से प्रत्यर्थी न्यायालय का निर्णय उनके द्वारा दिया गया था

कृष्णा मुरारी, जे।

1. छुट्टी मंजूर की गई।

बी.

2. वर्तमान अपील यहाँ अपीलार्थीगण द्वारा आपराधिक संशोधन मामले संख्या 1678/2014 और 1679/2014 में हैदराबाद में उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश और दिनांक 17.04.2018 के फैसले के खिलाफ दायर की गई है।

3. इन अपीलों के उद्देश्य के लिए, संक्षेप में, वर्तमान मामले के तथ्य यह हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा शुरू की गई एक निजी शिकायत पर, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत अपीलार्थीगण के खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई थी।इन कार्यवाहियों के कारण निचली अदालत द्वारा अपीलार्थीगण को दोषसिद्धि गया।

सी.

4. यह आरोप लगाया गया है कि अपीलार्थीगण ने निवेश करने की आड़ में प्रत्यर्थी संख्या 2 से धन लिया और अपने लाभ के लिए गलत लाभ कमाया।

डी.

5. अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि के बाद, उनके द्वारा उच्च न्यायालय में एक संशोधन को प्राथमिकता दी गई। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अपीलार्थीगण द्वारा दायर संशोधन के दौरान, पक्षों ने अपने भीतर विवाद को निपटाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।6. समझौता ज्ञापन के खंड 8 में कहा गया है कि विवाद को सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाया जाना चाहिए और विवाद के अभी भी सौहार्दपूर्ण तरीके से हल नहीं होने की स्थिति में, इसे पहले एकमात्र मध्यस्थ के पास भेजा जाना चाहिए।उक्त समझौता ज्ञापन का खंड 8 निम्नानुसार हैः-

ई.

एफ.

"कि इस दस्तावेज़ के तहत किसी भी विवाद को सौहार्दपूर्ण तरीके से हल किया जाएगा।यदि विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल नहीं किया जाता है, तो मामले को श्री जोन्नलगड्डा श्रीनिवास राव पुत्र वेंकैया के एकमात्र मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम और सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा।संदर्भ दर्ज करने पर, एकमात्र मध्यस्थ पक्षों को सुनेगा और निर्णय पारित करेगा।मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के प्रावधान मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू होंगे।मध्यस्थता का स्थान केवल ओंगोले होगा।

जी.

7. यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि समझौते की शर्तों के अनुसार, ए

एच.

295

बी. वी. सेशयाह बनाम तेलंगाना राज्य और ए. एन. आर. [कृष्णा मुरारी, जे।] ए.

प्रत्यर्थी संख्या 2 उच्च न्यायालय के समक्ष एक समझौता याचिका दायर करने के लिए बाध्य था, हालांकि वह ऐसा करने में विफल रहा।इस तरह की समझौता याचिका दायर करने की कमी, जैसा कि प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा सहमति व्यक्त की गई है, अब उच्च न्यायालय ने संशोधन को खारिज कर दिया है और अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि की पुष्टि की है।

8. हमारे विचार में, पक्षों द्वारा किए गए समझौते के नियम और शर्तें उन्हें विवाद को सौहार्दपूर्ण तरीके से या मध्यस्थता के माध्यम से निपटाने के लिए बाध्य करती हैं जैसा कि समझौता ज्ञापन के खंड 8 में कहा गया है।

बी.

9. ऐसी परिस्थिति में, अपीलार्थीगण को नीचे दी गई अदालतों द्वारा पारित आदेशों के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि समझौता अपराध के चक्रवृद्धि के अलावा और कुछ नहीं है।

सी.

10. मेसर्स मीटर एंड इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड एंड ए. एन. आर. के मामले में। बनाम कंचन मेहता 1, इस अदालत ने अभिनिर्धारित किया कि एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध की प्रकृति मुख्य रूप से एक दीवानी गलती से संबंधित है और इसे विशेष रूप से एक शमनीय अपराध बनाया गया है।फैसले का प्रासंगिक अनुच्छेद यहाँ निकाला गया हैः

डी.

" इस न्यायालय ने नोट किया है कि क़ानून का उद्देश्य व्यावसायिक लेनदेन के सुचारू संचालन को सुविधाजनक बनाना था।यह प्रावधान आवश्यक है क्योंकि कई लेन-देनों में चेक केवल लेनदारों को धोखा देने के लिए एक उपकरण के रूप में जारी किए जाते थे।चेक का अनादर बैंकिंग, सार्वजनिक वित्तीय संस्थान और परक्राम्य लिखत कानून (संशोधन) अधिनियम, 1988 के माध्यम से अभेद्य नुकसान, क्षति और असुविधा का कारण बनता है और प्राप्तकर्ता को व्यावसायिक लेनदेन की विश्वसनीयता को झटका लगता है।साथ ही, यह भी नोट किया गया कि धारा 138 के तहत अपराध की प्रकृति मुख्य रूप से एक नागरिक गलती से संबंधित है और 2002 के संशोधन ने विशेष रूप से इसे शमनीय बना दिया।"

ई.

एफ.

11. यह एक बहुत ही स्पष्ट मामला है कि पक्षकार एक समझौते में प्रवेश कर रहे हैं और मुकदमे की प्रक्रिया से खुद को बचाने के लिए अपराध को बढ़ा रहे हैं।जब पक्षकारों द्वारा ऐसा कदम उठाया गया है, और कानून उन्हें बहुत स्पष्ट रूप से ऐसा करने की अनुमति देता है, तो उच्च न्यायालय इस तरह के चक्रवृद्धि को दरकिनार नहीं कर सकता है और अपनी इच्छा लागू नहीं कर सकता है।

जी.

12. यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रत्यर्थी संख्या 2 उच्च न्यायालय के समक्ष समझौता याचिका दायर करने के लिए कर्तव्यबद्ध था, और ऐसा न करके उच्च न्यायालय से महत्वपूर्ण जानकारी वापस ले ली है, जिसके कारण अपीलार्थियों की दोषसिद्धि की अनुचित पुष्टि हुई है।

एच.

13. इसलिए हम इन अपीलों को स्वीकार करते हैं और निचली अदालत द्वारा पारित दोषसिद्धि के आदेश को दरकिनार करते हैं।हालाँकि, समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार अपने विवाद को निपटाने के लिए पक्षों के लिए इसे खुला रखा गया है।

दिव्या पांडे

अपीलों की अनुमति दी गई।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.